

क्रमांक/बोर्ड/अंके/स्था/संशु./1763
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/10/19

संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय समस्त

विषय:-स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क की अवशेष राशि भुगतान विषयक।


संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ बोर्ड/ अंके/ विभा/सं.शु./3958-59 दिनांक 15.06. 1016 एव
पत्र क्रमांक/3123-24 दिनांक 27.03.19.

—0—

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि दिनांक 24.09.19 को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के साथ आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि आंचलिक कार्यालय समस्त एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क की अवशेष राशि का पुनतः रूप से भुगतान किया जाना है।

अतः उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये संदर्भित पत्रों को एतद् द्वारा निरस्त कर निर्देशित किया जाता है कि आंचलिक कार्यालय समस्त एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क की अवशेष राशि का पुनतः रूप से भुगतान किया जावे।

उपरोक्त निर्देश का पालन प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन कर किये गये भुगतान की जानकारी मुख्यालय को भेजे।




(अशोक कुमार वर्मा)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/अंके/स्था/संशु./1764
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22/10/19

1. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, संचालनालय सतपुडा भवन भोपाल की ओर दिनांक 24.09.2019 को आयोजित बैठक के निर्णय में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अपर संचालक (वित्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, संचालनालय सतपुडा भवन भोपाल की ओर दिनांक 24.09.2019 को आयोजित बैठक के निर्णय में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय समस्त की ओर सूचनार्थ
6. उप संचालक (वित्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति समस्त की ओर लेख है कि उपरोक्तानुसार स्थानीय निधि संपरीक्षा को अवशेष संपरीक्षा शुल्क भुगतान करने की कार्यवाही करे।



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल